

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 40 : First return.

Every registered person who has made outward supplies in the period between the date on which he became liable to registration till the date on which registration has been granted shall declare the same in the first return furnished by him after grant of registration.

धारा 40 : प्रथम विवरणी देना

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया था, उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, के बीच की अवधि में जावक पूर्तियां की हो, उसे रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उनकी घोषणा करेगा।
